मॉकड्रिल दो आतंकियों को सुरक्षा कर्मियों ने किया ढेर, तीन को जिंदा दबोचा

उच्च न्यायालय में आतंकी हमला !

फोटो-हरि मेहरा

जबलपुर। हाईकोर्ट में शुक्रवार शाम अचानक हुए आतंकी हमले ने सबको चौंका दिया। वीआईपी गेट से फायरिंग करते हुए घुसे आतंकियों पर जवाबी कार्रवाई की। इस दौरान दो आतंकियों को मार गिरया गया तो वहीं तीन को जिंदा दबोचा गया। सूचना पर कई थानों का बल, बीडीडीएस की टीम, फायर बिग्रेड व एंबुलेंस के वाहन मौके पर पहुंचे। अचानक सायरन बजते वाहनों और भारी पुलिस बल की चहलकदमी ने अधिवक्ताओं सहित सभी को चौंका दिया, बाद में पता चला कि एहतियात के तौर पर मॉक ड्रिल आयोजित की गई थी।

दरअसल शुक्रवार को शाम पौने पांच बजे उच्च न्यायालय जबलपुर की सुरक्षा में पदस्थ अधिकारी-कर्मचारियों के द्वारा आकस्मिक आतंकी हमला एवं आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल की कार्यवाही एसपी संपत उपाध्याय एवं सिद्धार्थ चौधरी सेनानी 6 वीं वाहिनी विसबल जबलपुर के मार्ग-दर्शन में सम्पन्न करायी गई। मॉक ड्रिल की कार्यवाही में हाईकोर्ट सुरक्षा की टीम सहित बीडीडीएस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से मॉक ड्रिल की कार्यवाही में भाग लिया गया। जिसमें मॉक ड्रिल कार्यवाही के दौरान उच्च न्यायालय परिसर की सुरक्षा, न्यायाधिपति महोदय की सुरक्षा, कोर्ट रूम की सुरक्षा एवं आकस्मिक आगजनी से बचाव की ड्रिल की गई।

बीडीडीएस टीम ने की बम विस्फोटक की तलाश

माकड्रिल के दौरान हुए आतंकी हमले की कार्यवाही में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को मार गिरया तो वहीं तीन को जिंदा धर दबोचा। इसके बाद बीडीडीएस टीम द्वारा बम विस्फोटक तलाश कर पहचानने एंव उसके नष्टीकरण करने संबधित मॉक ड्रिल तथा हदृयघात की आपात स्थिति में किसी व्यक्ति की जान बचाने हेतु सीपीआर का प्रदर्शन भी किया। आकस्मिक आतंकी हमला मॉक ड्रिल की रूप रेखा अभ्यास एवं प्रदर्शन उच्च न्यायालय सुरक्षा जबलपुर में पदस्थ सउनि अजय परोचे के द्वारा किया गया।

न्यायाधीश व अधिकारी रहे मौजूद

मॉक ड्रिल प्रदर्शन के दौरान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया, सहित समस्त न्यायाधिपति एवं धर्मेंद्र सिंह राठौर रजिस्ट्रार जनरल, हर्ष सिंह बहरावत रजिस्ट्रार प्रशासन, पीएल परतेती अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हाईकोर्ट सुरक्षा, पंकज परमार उप पुलिस अधीक्षक हाईकोर्ट सुरक्षा, वैभव कुमार दुबे निरीक्षक, समरेश उपाध्याय निरीक्षक, सकन सिंह निरीक्षक, पंकज सिंह निरीक्षक बीडीडीएस, सहित माननीय उच्च न्यायालय सुरक्षा जबलपुर में पदस्थ समस्त अधिकारी-कर्मचारी एवं उच्च न्यायालय जबलपुर के भी अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

मेसर्स तनुश्री कंस्ट्रक्शन का ठेका निरस्त

लापरवाह ठेकेदारों पर नगर निगम की कार्रवाई

ठेकेदार फर्म को आगामी एक वर्ष के लिए नगर निगम के सभी निर्माण कार्यों के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है।

जबलपुर। नगर निगम ने विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाले और समय पर काम शुरू न करने वाले ठेकेदारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वार्ड क्रमांक 72 के अंतर्गत आने वाली कंचन विहार कॉलोनी सरस्वती विद्यालय के पीछे से महेन्द्र वर्मन के घर तक एम-30 सी.सी. सड़क निर्माण का कार्य समय पर शुरू न करने के कारण, निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने मेसर्स तनुश्री कंस्ट्रक्शन का ठेका तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है।

निगमायुक्त अहिरवार ने बताया कि इस सड़क निर्माण के लिए मई 2025 में ही कार्यादेश जारी कर दिया गया था। इसके बाद निगम प्रशासन द्वारा पत्र और दूरभाष के माध्यम से ठेकेदार को कई बार काम शुरू करने के निर्देश दिए गए, लेकिन ठेकेदार ने काम में कोई रुचि नहीं दिखाई। नागरिकों की सुविधा से जुड़े इस कार्य में ढिलाई को गंभीरता से लेते हुए आयुक्त ने सख्त कदम उठाया है। सड़क निर्माण का टेंडर तत्काल प्रभाव से कैंसिल कर दिया गया है और ठेकेदार द्वारा जमा की गई 25,000 की परफॉर्मेंस गारंटी राशि को राजसात कर लिया गया है। उक्त

नोटिस के बाद भी ठेकेदार ने काम में नहीं दिखाई रूचि

इसी प्रकार विजय एसोसिएट्स पंजीकृत निविदाकार फर्म पर बड़ी दंडात्मक कार्रवाई की है। कार्यवाही के संबंध में निगमायुक्त ने बताया कि संभाग क्रमांक-06 के अंतर्गत आने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड के मदर टेरेसा नगर गली नंबर 3 स्थित विवेकानंद गार्डन एवं गली नं. 2 स्थित श्री राम वाटिका गार्डन में बाउण्ड्रीवाल और पथवे का निर्माण होना था। इसके लिए मई 2025 में ही कार्य आदेश जारी कर दिया गया था। लेकिन समयसीमा बीत जाने के बाद भी संबंधित ठेकेदार द्वारा काम शुरू नहीं किया गया। नगर निगम द्वारा बार-बार फोन और नोटिस के जरिए याद दिलाने के बाद भी ठेकेदार ने काम में कोई रुचि नहीं दिखाई। नागरिकों की सुविधा से जुड़े इस पार्क के विकास कार्य में रुकावट डालने और निगम की छवि धूमिल करने पर निगमायुक्त अहिरवार ने लापरवाही के चलते संबंधित ठेकेदार का अनुबंध तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। ठेकेदार की राशि 57,849 रूपये की परफॉर्मेंस गारंटी राशि को निगम द्वारा जब्त कर लिया गया है। इस फर्म को भविष्य के लिए नगर निगम के सभी विभागों से ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब इस कार्य के लिए दोबारा निविदा निकाली जाएगी और इससे निगम को होने वाली किसी भी आर्थिक क्षति की वसूली भी इन्हीं ठेकेदारों से की जाएगी।

मानसून की चाल से किसान परेशान, बुवाई प्रभावित

नवभारत जबलपुर। जुलाई का पहला पखवाड़ा गुजरने को है, लेकिन मानसून अब भी पूरी तरह मेहरबान नहीं हुआ है। रुक-रुककर हो रही हल्की बारिश से खेतों की प्यास नहीं बुझ पा रही है। खरीफ फसलों की बुवाई करने वाले किसान अच्छी बारिश का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त पानी नहीं मिलने से फसलों की प्रगति प्रभावित होने की आशंका बढ़ने लगी है।

मौसम विज्ञान कार्यालय के आंकड़े भी यही तस्वीर बयां कर रहे हैं। जिले में शुक्रवार शाम तक कुल 181.4 मिमी वर्षा दर्ज की गई, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि तक 463.2 मिमी बारिश हो चुकी थी। यानी इस बार अब तक 281.8 मिमी कम वर्षा हुई है। पिछले 24 घंटे में भी बारिश का सिलसिला बेहद कमजोर रहा। सुबह 8:30 बजे तक केवल 0.2 मिमी और उसके बाद शाम 5:30 बजे तक 0.6 मिमी बारिश दर्ज की गई। बारिश कम होने से दिन में उमस भी लोगों को परेशान कर रही है। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। सुबह 80 और शाम को 67 प्रतिशत आर्द्रता दर्ज की गई, जिससे बादल छाने के बावजूद गर्मी का अहसास बना रहा। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कुछ राहत मिलने के संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार जिले के कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश या बौछारें पड़ सकती हैं। कहीं-कहीं आंधी और वज्रपात के साथ 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की भी संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की गतिविधियां फिलहाल कमजोर बनी हुई हैं।

गांजा तस्कर को दो साल की सजा

जबलपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के एक मामले में विशेष एनडीपीएस न्यायालय ने दोषी को सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश प्रवेन्द्र सिंह ने गांजा तस्करी के आरोप में जबलपुर निवासी सचिन सोनी को दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार तीन मार्च 2025 को संजीवनी नगर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी के कब्जे से करीब साढ़े पांच किलो गांजा बरामद किया था।

रेलवे मजिस्ट्रेट का स्टेशन पर औचक निरीक्षण, 22 अवैध वेंडरों पर कार्रवाई

जबलपुर, नवभारत। यात्रियों की सुरक्षा, सुविधा और रेलवे स्टेशन परिसर में अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से शुक्रवार को जबलपुर रेलवे स्टेशन पर रेलवे मजिस्ट्रेट वेदप्रकाश सगर ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में कई लोग बिना अनुमति के खाद्य सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की बिक्री करते पाए गए, जिस पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए गए। रेलवे मजिस्ट्रेट के निर्देश पर मुख्य टिकट निरीक्षक (सीटीआई) के नेतृत्व में टिकट जांच स्टाफ, रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने संयुक्त अभियान चलाकर कुल 22 अवैध वेंडरों को पकड़ा। इनमें से 18 वेंडरों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए प्रति व्यक्ति 2 हजार रुपये के हिसाब से कुल 36 हजार रुपये का जुर्माना मौके पर ही वसूल किया गया। वहीं 4 वेंडरों द्वारा जुर्माना जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध न्यायालय में पेश किए जाने के लिए चार्जशीट तैयार की गई। रेल प्रशासन के अनुसार इस प्रकार की कार्रवाई का उद्देश्य स्टेशन परिसर को अनधिकृत गतिविधियों से मुक्त रखना, यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित वातावरण उपलब्ध कराना तथा अधिकृत वेंडिंग व्यवस्था को प्रभावी बनाए रखना है। अभियान में वाणिज्य विभाग के टिकट जांच स्टाफ, आरपीएफ, जीआरपी के अलावा न्यायालय के रीडर एवं न्यायालयीन स्टाफ ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से प्रकाशित एवं नेपियर टाऊन बस स्टैण्ड जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharatjabalpur@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RNI Reg No.1537/57